[illegible]

श्री अरविन्द कुमार मुण्डा
पिता सावना मुण्डा
ग्राम - कोंगावार
बनाम
पुरुषोत्तम केजरीवाल
पिता ओंकारलाल केजरीवाल

आदेश-पत्रक

(देखें सिविल हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

[illegible] विविध वाद सं. 05/20-21 कॉंके रोड, राँची

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
१	२	३
16.09.20	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के पत्रांक 560/रा० दिनांक 20.03.20 के द्वारा श्री अरविन्द मुण्डा पिता सावना मुण्डा ग्राम कोंगावार से प्राप्त आवेदन पत्र का जाँच राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा किया गया। जाँच में प्रतिवेदित किया है कि मौजा कोंगावार के खाता सं० 192 प्लॉट सं० 198 रकबा 0.88 ए० भूमि सर्वे खतियान में लदिरा मुण्डा वल्द ओमा मुण्डा के नाम से रैयती दर्ज है। आवेदक का कहना है कि पुरुषोत्तम केजरीवाल पिता ओंकारलाल केजरीवाल काँके जिला राँची के द्वारा रकबा 0.80 ए० भूमि का जाली कागजात बनाकर भूमि हड़पना चाहते हैं। दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर कागजात की माँग की जा सकती है। अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर कागजात की माँग करें। अभिलेख दिनांक 06.10.20 को रखें। अंचल अधिकारी	

अंचल अधिकारी का न्यायालय, माण्डू

आदेश पत्र

विविध वाद सं0 – 05/2020–21

श्री पुरूषोतम केजरीवाल बनाम् प्रमेश्वर मुण्डा वगैरह

	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	
.10.2020	अभिलेखा उपास्थापित। नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त राजस्व उप निरीक्षक हल्का सं0 IV के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में ग्राम बोंगाबार के खाता सं0 192 प्लॉअ सं0 198 रकवा 0.88 ए0 भूमि से संबंधित दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर सुनवाई की गई। प्रथम पक्ष अरूण मुण्डा पिता सावना मुण्डा ग्राम बोंगागार अनुपस्थित है। द्वितीय पक्ष श्री पुरूषोतम केजरीवाल पिता शंकरलाल केजरीवाल ने उपस्थित होकर प्रश्नगत भूमि से संबंधित कागजात प्रस्तुत किया। प्रस्तुत कागजात के अनुसार खाता सं0 92 प्लॉट सं0 98 रकवा 0.80 ए0 भूमि केवाला सं0 3926 दिनांक 29.03.1978 के द्वारा खरीदगी से प्राप्त करने का दावा किया जाता है। वर्त्तमान में यह मामला न्यायालय उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के न्यायालय में विविध वाद सं0– 19/2010 पुरूषोतम केजरीवाल पिता शंकरलाल केजरीवाल बनाम् प्रमेश्वर मुण्डा पिता सोहराय मुण्डा, रामचन्द्र मुण्डा, विनोद मुण्डा, खादरा मुण्डा सभी के पिता भीखमंग मुण्डा एवं सावना मुण्डा पिता स्व0 मालवा मुण्डा के विरूद्ध सुनवाई चल रहा है। सुनवाई के पश्चात् माननीय न्यायालय उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा पारित अंतिम आदेश के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी। अभिलेख में आगे की कार्रवाई बंद की जाती है। [signature] अंचल अधिकारी माण्डू	